





## “रैगिंग निरोधक दस्ता”

यू.जी.सी. एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विधि अध्ययनशाला में निम्न रैगिंग निरोधक दस्ते का गठन किया जाता है।

क्रमांक	रैगिंग निरोधक दस्ते का नाम	समिति का नाम
1	सदस्य	डॉ.रश्मि सिंह
2	सदस्य	श्रीमान राजेन्द्र गोयल
3	सदस्य	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि
4	सदस्य	पुलिस आधीक्षक का प्रतिनिधि

रैगिंग निरोधक दस्ते के कर्तव्य—

1. यह स्क्वाड रैगिंग की रोकथाम के लिए सदैव सजग रहेगा। सत्र के प्रारंभ से ही हर विद्यार्थी को संस्था प्रमुख, एन्टी रैगिंग समिति, एन्टी रैगिंग स्क्वाड स्थानीय पुलिस स्टेशन तथा स्थानीय प्रशासन के दुरभाष नंबर उपलब्ध कराएगा।
2. सभी विद्यार्थियों/पालकों से यह वचन पत्र लेगा कि वे रैगिंग में भाग नहीं लेंगे और यदि वे रैगिंग में भाग लेते हैं तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही उन्हें मान्य होगी।
3. छात्रावास का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करेगा और उन स्थानों पर नियंत्रण रखेगा जहां छात्र एकत्रित होते हैं।
4. एन्टीरैगिंग स्क्वाड एन्टी रैगिंग समिति से समय समय पर मार्गदर्शन भी प्राप्त करेगा।

*A. Rawat*  
विभागाध्यक्ष

